रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237375
CG-DL-E-20072022-237375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ़ 28, 1944
No. 364] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

प्रस्तावना

सं. एल–1/261/2021/केविविआ.—चूंकि सामान्य नेटवर्क पहुंच के माध्यम से अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों या उपभोक्ताओं को भेदभाव रहित निर्बाध पहुंच को सुगम बनाने के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करना और इस विषय पर विनियमों को समेकित करना आवश्यक है, इसे एतद् द्वारा निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है:

अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (ग) और धारा 40 के खंड (ग), धारा 38 की उप–धारा (2) के खंड (घ), धारा 2 के खंड (47) के साथ पठित धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (यङ) और धारा 178 की उप–धारा (1) और इस निमित्त अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा आरंभ

1.1 इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता तथा सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 है।

1.2 ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

परंतु यह कि पृथक विनियमों के आरंभ के लिए पृथक तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं।

2. परिभाषा

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) संयोजकता हेतु आवेदक (आवेदकों) के लिए "संबद्ध पारेषण प्रणाली" या "एटीएस" से इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार यथा अवधारित एटीएस अभिप्रेत है;

(ग) "द्विपक्षीय संव्यवहार" से सीधे या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से या पावर एक्सचेंज पर विनिर्दिष्ट क्रेता और विनिर्दिष्ट विक्रेता के बीच विद्युत के विनिमय के लिए सामूहिक संव्यवहार के अलावा संव्यवहार अभिप्रेत है;

(घ) "सीईए रजिस्ट्री" से संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानको में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादन स्टेशनों के डाटाबेस के रखरखाव हेतु रजिस्ट्री अभिप्रेत है;

(ङ) "संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानक" से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड को संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(च) "निर्माण के लिए सीईए तकनीकी मानकों" से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युतीय संयंत्रों और विद्युतीय लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(छ) "केन्द्रीय आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप–धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ज) "केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी" या "सीटीयू" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा 10 में परिभाषित है;

(झ) "सामूहिक संव्यवहारों" से विद्युत बाजार विनियमों में यथा परिभाषित सामूहिक संव्यवहार है अभिप्रेत है;

(ञ) "संचार विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियिम, 2017 अभिप्रेत है;

(ट) "संयोजकता" से इन विनियमों के अनुसार अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली से जुड़ने की स्थिति अभिप्रेत है;

(ठ) "संयोजकता विनियम, 2009" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 अभिप्रेत है;

(ड) "क्रॉस बॉर्डर विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बॉर्डर व्यापार) विनियम, 2019 अभिप्रेत है;

(ढ) "दिवस" से 00.00 बजे से आरंभ और 24.00 बजे पर समाप्त होने वाला दिवस अभिप्रेत है;

(ण) "समर्पित पारेषण लाइन" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (16) में परिभाषित है;

(त) "डीएसएम विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 अभिप्रेत है;

(थ) विद्युत प्रणाली के संबंध में "ऊर्जा भंडारण प्रणाली" या "ईएसएस" से वह सुविधा अभिप्रेत है जहाँ विद्युतीय ऊर्जा, ऊर्जा के किसी भी रूप में परिवर्तित होती है जिसे भंडारित किया जा सकता है, और तत्पश्चात् विद्युतीय ऊर्जा में पुनः परिवर्तित और ग्रिड में वापिस अंतःक्षेपित किया जा सकता है;

(द) "सामान्य नेटवर्क पहुंच" या "जीएनए" से इन विनियमों के अधीन आईएसटीएस को अनुदत्त निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है;

(ध) "सामान्य नेटवर्क पहुंच अनुदानग्राही" या "जीएनए अनुदानग्राही" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन जीएनए अनुदान किया गया है या जीएनए अनुदान किया गया समझा गया है;

(न) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खंड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है;

(प) "अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली" या "आईएसटीएस" से अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (36) में यथा परिभाषित अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली अभिप्रेत है;

(फ) "अंतःराज्यिक इकाई" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग यथास्थिति राज्य पारेषण यूटिलिटी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाती है, और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या इस प्रकार किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है;

(ब) "इंटरफेस मीटर" का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 में परिभाषित है;

(भ) "लीड ईएसएस" से निम्नलिखित अभिप्रेत है

(i) ईएसएस जो एकल अंतर–संयोजन बिंदु पर आईएसटीएस को संयोजकता हेतु आवेदन करने के लिए करार के माध्यम से एक या अधिक ईएसएस या उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) द्वारा प्राधिकृत हैः या

(ii) आईएसटीएस से पहले से ही संयोजकता रखने वाला ईएसएस, और जिसके विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से एक या अधिक ईएसएस या उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) द्वारा करार के माध्यम से संयोजकता मांगी गई है।

(म) "लीड उत्पादक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,

(i) उत्पादन स्टेशन जो एकल संयोजन बिंदु पर आईएसटीएस को संयोजकता हेतु आवेदन करने के लिए करार के माध्यम से एक या अधिक उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) या ईएसएस या द्वारा प्राधिकृत हैः या

(ii) आईएसटीएस से पहले से ही संयोजकता रखने वाला उत्पादन स्टेशन, और जिसके विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से एक या अधिक उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) या ईएसएस द्वारा करार के माध्यम से संयोजकता मांगी गई है।

(य) "राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र" या "एनएलडीसी" से अधिनियम की धारा 26 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी) अभिप्रेत है;

(कक) "राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री" या "एनओएआर" से इन विनियमों के विनियम 27 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्री अभिप्रेत है;

(कख) "नोडल एजेंसी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है

(i) संयोजकता या आईएसटीएस को जीएनए के लिए नामित एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 3 से विनियम 25 और विनियम 37 के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी होगी;

(ii) द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए टी–जीएनए हेतु नामित एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 26 से विनियम 36 के प्रयोजन हेतु उस प्रदेश का आरएलडीसी होगी जहां आहरण बिंदु स्थित है;

(iii) सामूहिक संव्यवहारों के लिए टी–जीएनए हेतु नामित एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 26 से विनियम 36 के प्रयोजन हेतु एनएलडीसी होगी;

(iv) एनओएआर के कार्यान्वयन और प्रचालन के लिए एजेंसी जो कि इन विनियमों के विनियम 27 के प्रयोजन हेतु एनएलडीसी होगी;

(कग) "निर्बाध पहुंच विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 अभिप्रेत है;

(कघ) "विद्युत बाजार विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(कङ) "प्रादेशिक इकाई" का वही अर्थ होगा जैसा कि ग्रिड कोड में परिभाषित है;

(कच) "प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र" या "आरएलडीसी" से अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;

(कछ) "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन" या "आरईजीएस" से ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित या इसके बिना ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर आधारित उत्पादन स्टेशन अभिप्रेत है और इसमें नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन शामिल है;

(कज) "नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन" या "आरएचजीएस" से एक ही अंतर–संयोजन बिंदु पर जुड़े ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित या इसके बिना, ऊर्जा के दो या दो से अधिक नवीकरणीय स्रोत (स्रोतों) के हाइब्रिड पर आधारित उत्पादन स्टेशन अभिप्रेत है;

(कझ) "नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता" से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) के लिए विद्युत पार्क विकासकर्ता के रूप में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत इकाई अभिप्रेत है;

(कञ) "आरएलडीसी फीस और प्रभार विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 अभिप्रेत है;

(कट) "शेयरिंग विनियम" से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 अभिप्रेत है;

(कठ) "स्थायी क्लियरेंस" से इन विनियमों के विनियम 31 में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी क्लियरेंस अभिप्रेत है;

(कड) "राज्य पारेषण यूटिलिटी" या "एसटीयू" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (67) में परिभाषित है;

(कढ) "अस्थायी जीएनए" या "टी–जीएनए" से इन विनियमों के अध्याय 6 के संदर्भ में आईएसटीएस को अनुदत्त निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है;

(कण) "टर्मिनल बे" से आईएसटीएस सब–स्टेशन पर बे अभिप्रेत है जहां संयोजकता अनुदानग्राही की पारेषण लाइने समाप्त होती हैं;

(कत) "टी–जीएनए अनुदानग्राही" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन टी–जीएनए प्रदान किया गया है।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां परिभाषित नहीं किए गए परंतु अधिनियम या केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, वह होगा जैसा कि यथास्थिति अधिनियम या केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के अधीन उन्हें प्रदान किया गया है।

2.3 किसी भी अधिनियम, नियमों और विनियमों के संदर्भ में उनका संशोधन या समेकन या पुनराधिनियमन शामिल होगा।

अध्याय 2

सामान्य उपबंध

3. संयोजकता प्रदान किए जान हेतु आवेदन और जीएनए

3.1 संयोजकता प्रदान किए जाने या जीएनए प्रदान किए जाने हेतु आवेदन, यथास्थिति, नोडल एजेंसी को ऑनलाइन रूप में किया जाएगा और आवेदक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3.2 संयोजकता प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक आवेदन, लागू करों सहित रु.5 लाख की आवेदन फीस के साथ किया जाएगा।

3.3 जीएनए प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक आवेदन, लागू करों सहित रु.5 लाख की आवेदन फीस के साथ किया जाएगा।

परंतु यह कि जीएनए हेतु आवेदन करते समय राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा कोई आवेदन फीस देय नहीं होगी।

3.4 आवेदन की प्राप्ति हेतु आवेदन की तारीख और समय सहित स्वतः उत्पन्न पावती आवेदक को जारी की जाएगी और इसकी प्रति नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

3.5 संवीक्षा के बाद, नोडल एजेंसी आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख और समय के क्रम में आवेदन की प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर संयोजकता प्रदान किए जाने या जीएनए प्रदान किए जाने के लिए आवेदन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करेगी। आवेदक इसके बाद एक सप्ताह के अंदर कमियों को सुधार सकता है, जिसके न होने पर आवेदन को समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस का 20% जब्त कर लिया जाएगा। आवेदन शुल्क का शेष 80% नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को आवेदन समाप्त किए जाने के 15 दिनों के अंदर वापस किया जाएगा।

3.6 संयोजकता प्रदान किए जाने के लिए मास के दौरान इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन आवेदकों से प्राप्त सभी आवेदनों को मास के अंतिम दिन के 2400 बजे तक एक साथ संसाधित किया जाएगा। आवेदनों की परस्पर प्राथमिकता, जहां कहीं आवश्यकता हो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख और समय के अनुसार दी जाएगी।

3.7 यदि इन विनियमों के विनियम 7 के संदर्भ में संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान या इन विनियमों के विनियम 22 के संदर्भ में जीएनए के अनुदान से पूर्व संयोजकता के अनुदान या जीएनए के अनुदान हेतु कोई आवेदन वापस लिया जाता है, तो आवेदन फीस का 50% जब्त कर लिया जाएगा। आवेदन फीस का शेष 50%, आवेदन के वापस लिए जाने के 15 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को वापस कर दिया जाएगाः

परंतु यह कि यदि कोई आवेदन, संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान या जीएनए के अनुदान के बाद वापस लिया जाता है, तो ऐसे आवदेन को वापस लिए जाने की तारीख के 15 दिनों की अवधि के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस का 100% जब्त कर लिया जाएगा।

अध्याय 3

संयोजकता

4. आईएसटीएस से संयोजकता के लिए पात्रता

4.1 निम्नलिखित इकाइयां संयोजकता के अनुदान हेतु या संयोजकता की मात्रा में वृद्धि हेतु आवेदन करने के लिए आवेदन के रूप में पात्र होंगीः

(क) आरईजीएस सहित, ईएसएस के साथ या बिना, अलग–अलग रूप से 50 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ, या लीड जेनरेटर या लीड ईएसएस के माध्यम से 50 मेगावाट और उससे अधिक की सकल संस्थापित क्षमता के साथ उत्पादन स्टेशन;

(ख) 50 मेगावाट और उससे अधिक के आईएसटीएस में अंतःक्षेपण की क्षमता के साथ कैप्टिव उत्पादन संयंत्र;

(ग) अलग–अलग रूप से 50 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ या लीड ईएसएस या लीड जेनरेटर के माध्यम से 50 मेगावाट की सकल संस्थापित क्षमता के साथ ईएसएस स्टैंडअलोन;

(घ) नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता;

(ङ) आईएसटीएस से पहले से ही संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन की विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से आईएसटीएस से संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करने वाले 5 मेगावाट और उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ आरईजीएस या स्टैंडअलोन ईएसएसः

परंतु यह कि आईएसटीएस से संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करने वाली ऐसी इकाई ने अपनी विद्युतीय प्रणाली और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, को उक्त उत्पादन स्टेशन के साथ शेयर करने हेतु करार किया है।

4.2 विनियम 4.1 में किसी बात के होते हुए भी, संयोजकता वाली इकाइयां, आवेदन फीस के भुगतान पर पारेषण प्रणाली में उपलब्ध क्षमता के अध्याधीन 50 मेगावाट से कम की संयोजकता की वृद्धि के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगी।

4.3 अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली से पहले से जुड़े या जुड़ने के इच्छुक उत्पादन स्टेशन भी संयोजकता हेतु आवेदक के रूप में पात्र होंगे।

5. संयोजकता के अनुदान हेतु आवदेन

5.1 आवेदक, जो कि आरईजीएस सहित उत्पादन स्टेशन है, उत्पादन स्टेशन की संस्थापित क्षमता की समतुल्य मात्रा के लिए नोडल एजेंसी को संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करेगाः

परंतु यह कि यदि ऐसे आवदेक के पास अपनी संस्थापित क्षमता के भाग के लिए अंतः राज्यिक पारेषण प्रणाली से संयोजकता है, तो वह संस्थापित क्षमता के शेष तक की मात्रा के लिए आईएसटीएस से संयोजकता हेतु आवेदन कर सकता है**;**

परंतु यह और कि यदि ऐसा आवेदक नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन स्टेशन या भंडारण के साथ आरईजीएस है, तो वह संस्थापित क्षमता के बराबर या उससे कम की मात्रा के लिए संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है।

5.2 विनियम 5.1 में किसी बात के होते हुए भी उत्पादन स्टेशन या ईएसएस, सीटीयू के पूर्व अनुमोदन के साथ, उसे अनुदत्त संयोजकता की मात्रा के अंदर ईएसएस सहित अतिरिक्त उत्पादन को जोड़ने का पात्र होगा**;**

परंतु यह कि ऐसी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए, उक्त उत्पादन स्टेशन ग्रिड कोड और केन्द्रीय आयोग के अन्य विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा।

5.3 आवेदक, जो कि कैप्टिव उत्पादन संयंत्र है, आईएसटीएस में अपनी प्रस्तावित अधिकतम अंतःक्षेपण की मात्रा के लिए संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है।

5.4 आवेदक, जो कि स्टैंडअलोन ईएसएस है, आईएसटीएस में अपनी प्रस्तावित अधिकतम अंतःक्षेपण या आईएसटीएस से प्रस्तावित अधिकतम आहरण की मात्रा, जो भी अधिकतम हो, के लिए संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है।

5.5 आवेदक, जो कि नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है, संयोजकता की उस मात्रा के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है जिसके लिए उसे नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता के रूप में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

5.6 आवेदक, टर्मिनल बे या स्विचयार्ड और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, को शेयर करने के लिए आवेदक और उक्त संयोजकता अनुदानग्राही या आईएसटीएस से संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन, यथास्थिति, के बीच विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करार के साथ (i) अन्य संयोजकता अनुदानग्राही को पहले से ही आबंटित आईएसटीएस सब–स्टेशन की टर्मिनल बे या (ii) आईएसटीएस से संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन के स्विचयार्ड पर संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है। इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार लागू संयोजकता बैंक गारंटी, ऐसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

5.7 दो या दो से अधिक आवेदक समर्पित पारेषण लाइनों और टर्मिनल बे को शेयर करने हेतु उनके द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करार के साथ समान टर्मिनल बे पर संयोजकता के अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन विनियमों के विनियम 8 के अनुसार लागू संयोजकता बैंक गारंटी ऐसे प्रत्येक आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

5.8 संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विनियम 39.1 के अनुसार जारी संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथा निर्धारित, सुसंगत एफिडेविट के साथ विधिवत् समर्थित, यथा लागू, निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिएं:

(i) इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन भौगोलिक स्थिति और संस्थापित क्षमता;

(ii) आईएसटीएस के साथ अंतर्विनिमय की जाने वाली विद्युत की अधिकतम मात्रा और आईएसटीएस से संयोजन का सर्व–प्रधान बिंदु;

(iii) जिस तारीख से संयोजकता मांगी गई है;

(iv) आवेदन फीस के लिए डिजिटल भुगतान की बैंक जनित प्रमाण;

(v) कंपनी के मामले में, संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए नामित व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड रेज़ोल्यूशन;

(vi) सीईए रजिस्ट्री द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ पंजीकरण संख्या;

(vii) नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता के मामले में, सौर विद्युत उत्पादकों या पवन विद्युत उत्पादकों की ओर से संयोजकता के लिए व्यवस्था सहित ढांचागत गतिविधियों को करने हेतु यथा लागू केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार;

(viii) लीड उत्पादक या लीड ईएसएस, यथास्थिति, के माध्यम से आवेदन के मामले में, समर्पित पारेषण लाइनों और टर्मिनल बे की शेयरिंग के लिए करार और ग्रिड कोड के उपबंधों और केन्द्रीय आयोग के अन्य विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होने के लिए लीड जेनरेटर या लीड ईएसएस, यथास्थिति, की सहमति;

(ix) इन विनियमों के विनियम 5.6 के अधीन कवर किए गए आवेदक के मामले में, टर्मिनल बे या स्विचयार्ड, यथास्थिति, और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, की शेयरिंग हेतु आवेदक और संयोजकता अनुदानग्राही या आईएसटीएस से संयोजकता वाले उत्पादन स्टेशन के बीच करार;

(x) इन विनियमों के विनियम 5.7 के अधीन कवर किए गए आवेदक के मामले में, टर्मिनल बे और समर्पित पारेषण लाइनों, यदि कोई हो, की शेयरिंग हेतु आवेदक (आवेदकों) के बीच करार।

6. नोडल एजेंसी और एटीएस द्वारा अंतरसंयोजकता अध्ययन

6.1 संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी, सामान्य नेटवर्क पहुंच के अधीन आईएसटीएस से अधिक विद्युत के अंतरण को सक्षम करने हेतु मौजूदा आईएसटीएस, यदि कोई हो, की वृद्धि की आवश्यकता के साथ संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानकों में यथा विनिर्दिष्ट अंतरसंयोजन अध्ययन करेगी:

परंतु यह कि इस विनियम के प्रयोजन हेतु मौजूदा आईएसटीएस उस पारेषण प्रणाली को शामिल करेगा जिसे उस मास के अंतिम दिन पर कार्यान्वयन के लिए अवार्ड किया गया है जिसमें संयोजकता के अनुदान हेतु सभी प्रकार से संपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ है:

परंतु यह और कि यदि किसी अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को अंतरसंयोजन अध्ययन के समापन से पूर्व कार्यान्वयन के लिए अवार्ड किया जाता है, तो ऐसी अतिरिक्त पारेषण प्रणाली को भी मौजूदा आईएसटीएस के रूप में समझा जाएगा।

6.2 इन विनियमों के विनियम 6.1 के अधीन पहचान की गई वृद्धि की आवश्यकता में से, टर्मिनल बे को छोड़कर, आवेदक (आवेदकों) की विद्युत की तत्काल निकासी के लिए आवश्यक वृद्धि को आवेदक (आवेदकों) के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली (एटीएस) के रूप में समझा जाएगा।

7. नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान

7.1 यदि नोडल एजेंसी इन विनियमों के विनियम 6.1 के अनुसार किए गए अंतरसंयोजन अध्ययन के बाद यह निर्धारित करती है कि किसी एटीएस की आवश्यकता नहीं है, तो नोडल एजेंसी, जिस मास में आवेदन प्राप्त हुआ था, उस मास के अंतिम दिन से 30 दिनों के अंदर आवेदक को संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित करेगी जिसमें टर्मिनल बे, पहले से ही उपलब्ध या सीटीयू के माध्यम से आईएसटीएस के अधीन विकसित किए जाने, और आवेदक द्वारा निर्माण की जाने वाली समर्पित पारेषण लाइनों के लिए न्यूनतम डिज़ाइन विशेषताओं जैसे विवरणों का उल्लेख होगा।

7.2 यदि नोडल एजेंसी इन विनियमों के विनियम 6.1 के अनुसार किए गए अंतरसंयोजन अध्ययन के बाद यह निर्धारित करती है कि एटीएस की आवश्यकता है, तो नोडल एजेंसी उस मास के अंतिम दिन से 60 दिनों के अंदर आवेदक को संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित करेगी जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था:

परंतु यह कि संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान हेतु सूचना में एटीएस और टर्मिनल बे, ऐसे एटीएस और टर्मिनल बे की अनुमानित लागत, आवेदक द्वारा निर्माण की जाने वाली समर्पित पारेषण लाइनों के लिए न्यूनतम डिज़ाइन विशेषताएं और संयोजकता के आरंभ की संभावित तारीख का उल्लेख होगा:

परंतु यह और कि संयोजकता के निर्णायक अनुदान के समय संयोजकता के आरंभ की निर्धारित तारीख की पुष्टि की जाएगी।

8. संयोजकता बैंक गारंटी

8.1 आवेदक द्वारा संयोजकता बैंक गारंटी तीन भागों में प्रस्तुत की जाएगी, संयोजकता–बीजी1 की राशि रु. 50 लाख, और संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3, की राशि इन विनियमों के विनियम 8.2 और विनियम 8.3 में यथा उपबंधित होगी।

8.2 इन विनियमों के विनियम 7.1 में कवर किए गए मामलों के लिए, संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 निम्नानुसार प्रस्तुत की जाएगीः

(क) टर्मिनल बे के लिए संयोजकता–बीजी2 निम्नानुसार आबंटित टर्मिनल बे की संख्या के आधार पर प्रस्तुत की जाएगीः

आबंटित टर्मिनल बे का वोल्टता स्तर	संयोजकता–बीजी2 (प्रति टर्मिनल बे)
132 केवी	रु. 2 करोड़
220/230 केवी	रु. 3 करोड़
400 केवी	रु. 6 करोड़
765 केवी	रु. 12 करोड़

परंतु यह कि किसी संयोजकता–बीजी2 को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि इकाई (i) इन विनियमों के विनियम 12.4 के अधीन टर्मिनल बे का निर्माण स्वयं करने का प्रस्ताव करती है, या (ii) अन्य संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा निर्मित या निर्मित किए जा रहे टर्मिनल बे पर संयोजकता मांगती है, या (iii) उत्पादन स्टेशन की विद्युतीय प्रणाली या स्विचयार्ड के माध्यम से संयोजकता मांगती है।

(ख) मौजूदा आईएसटीएस के लिए इकाई द्वारा रु. 2 लाख/मेगावाट पर संयोजकता–बीजी3 प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2, और संयोजकता–बीजी3, यथा लागू, संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान की सूचना के 1 (एक) मास के अंदर प्रस्तुत की जाएगी, जिसके न होने पर संयोजकता हेतु आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस जब्त कर ली जाएगी।

8.3 इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए, निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया जाएगाः

(क) वह इकाई जिसे संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित कर दिया गया है, संयोजकता के सैद्धांतिक अनुदान की सूचना के एक मास के अंदर, संयोजकता–बीजी1 के साथ, इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन यथा सूचित, एटीएस और टर्मिनल बे के निष्पादन हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत करेगी, जिसके न होने पर संयोजकता हेतु आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा और आवेदन फीस जब्त कर ली जाएगी।

(ख) नोडल एजेंसी, इस विनियम के खंड (क) के अनुसार संयोजकता–बीजी1 की प्रस्तुतिकरण के 6 (छह) मास के अंदर ऐसी इकाई को (i) एटीएस और टर्मिनल बे के लिए प्रस्तुत की जाने वाली संयोजकता–बीजी2 की राशि जो कि इन विनियमों के विनियम 7.2 के अधीन सूचित अनुमानित लागत से अधिक नहीं होगी, (ii) एटीएस और टर्मिनल बे के समापन के लिए टाईमलाइन, और (iii) संयोजकता के आरंभ की निर्धारित तारीख सूचित करेगी।

परंतु यह कि यदि ऐसे एटीएस और टर्मिनल बे, एक से अधिक इकाई के लिए नियोजित हैं, तो संयोजकता–बीजी2 ऐसी इकाइयों द्वारा आवेदन की गई संयोजकता की मात्रा के अनुपात में प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) यदि नोडल एजेंसी इस विनियम के खंड (ख) के अनुसार विवरणों को 6 (छह) मास के अंदर सूचित नहीं करती है, तो नोडल एजेंसी, उस संभावित तारीख के साथ जिस तक संयोजकता–बीजी2 और ऐसी टाइमलाईन प्रस्तुत की जाएगी, छह मास की ऐसी अवधि की समाप्ति के एक मास के अंदर केन्द्रीय आयोग को प्रति के साथ इकाई को ऐसी गैर–सूचना के लिए कारण प्रस्तुत करेगीः

परंतु यह कि नोडल एजेंसी द्वारा छह मास के अंदर गैर–सूचना की दशा में, इकाई के पास संयोजकता हेतु आवेदन को वापस लेने का विकल्प होगा और ऐसे मामले में, इकाई द्वारा वापस लेने का विकल्प चुनने के एक मास के अंदर संयोजकता–बीजी1 वापस कर दी जाएगी और आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा।

(घ) वह राशि जिसके लिए इस विनियम के खंड (ख) के अनुसार संयोजकता–बीजी2 प्रस्तुत जानी है, एटीएस और टर्मिनल बे की अनुमानित लागत के बराबर होगी और एटीएस और टर्मिनल बे के समापन हेतु टाईमलाइन, ऐसे एटीएस और टर्मिनल बे हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख पर आधारित होगी।

(ङ) वह इकाई जिसे संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित किया गया है, इस विनियम के उप–खंड (ख) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा सूचना के 1 (एक) मास के अंदर संयोजकता–बीजी2 प्रस्तुत करेगी, जिसके न होने पर संयोजकता हेतु आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा, संयोजकता–बीजी1 का नकदीकरण किया जाएगा और आवेदन फीस को जब्त कर लिया जाएगा।

8.4 विनियम 39.1 के अनुसार जारी की गई संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में निर्धारित प्रारूप के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा सीटीयू के पक्ष में संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2, और संयोजकता–बीजी3 जारी की जाएगी।

9. नोडल एजेंसी द्वारा संयोजकता का अंतिम अनुदान

9.1 संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3, यथा लागू, के प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर नोडल एजेंसी उस इकाई को संयोजकता का निर्णायक अनुदान सूचित करेगी जिसे संयोजकता का सैद्धांतिक अनुदान सूचित किया गया है। सूचना में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) आईएसटीएस सब–स्टेशन या उत्पादन स्टेशन का स्विचयार्ड, यथा स्थिति, का नाम जहां संयोजकता का अनुदान किया गया है।

(ख) मौजूदा आईएसटीएस सब–स्टेशन के मामले में, एकल लाइन आरेख के साथ टर्मिनल बे की अवस्थिति।

(ग) निर्माणाधीन आईएसटीएस सब–स्टेशन के मामले में, ऐसे आईएसटीएस सब–स्टेशन के निर्देशांकों और वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख, एकल लाइन आरेख के साथ टर्मिनल बे की अवस्थिति।

(घ) प्रस्तावित आईएसटीएस सब–स्टेशन के मामले में, ऐसे आईएसटीएस सब–स्टेशन के अनंतिम निर्देशांकों और वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख।

(ङ) वोल्टता स्तर सहित समर्पित पारेषण लाइनों की व्यापक डिजाइन विशेषताएं।

9.2 जहां आवेदक ने अन्य संयोजकता अनुदानग्राही को पहले से ही आबंटित टर्मिनल बे पर संयोजकता के लिए आवेदन किया है या जहां समान टर्मिनल बे पर संयोजकता के लिए दो या दो से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है, वहां इन विनियमों के विनियम 9.1 के अधीन यथा सूचित संयोजकता का अंतिम अनुदान, समर्पित पारेषण लाइनों में क्षमता की उपलब्धताके अध्यधीन होगा।

10. संयोजकता करार

10.1 वह इकाई जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित कर दिया गया है, विनियम 39.1 के अनुसार जारी संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि में यथा निर्धारित नोडल एजेंसी को तकनीकी डाटा, अन्य बातों के साथ–साथ, फॉल्ट अध्ययन के लिए जेनरेटर डाटा, डायनेमिक सिमुलेशन डाटा और डाटा और वॉयस कम्यूनिकेशन का विवरण प्रस्तुत करेगीः

परंतु यह कि यदि इकाई के पास अंतिम तकनीकी संयोजन डाटा का अधिकार नहीं है, तो वह संयोजकता करार का भाग बनने हेतु अनंतिम डाटा प्रस्तुत कर सकती है और भौतिक संयोजन से कम से कम 1 (एक) वर्ष पूर्व अंतिम डाटा प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे अंतिम तकनीकी संयोजन डाटा को संयोजन करार के साथ संलग्न किया जाएगा।

10.2 नोडल एजेंसी विनियम 10.1 के अधीन तकनीकी संयोजन डाटा के प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के अंदर संयोजन विवरण, अन्य बातों के साथ–साथ, संरक्षण उपस्कर का विवरण, प्रणाली रिकॉर्डिंग, एससीएडीए और संचार उपस्कर सूचित करेगी।

10.3 विनियम 10.2 के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा संयोजन विवरणों के सूचित किए जाने के 30 दिनों के अंदर, नोडल एजेंसी और उस इकाई के बीच संयोजकता करार हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित किया गया है। संयोजकता करार के हस्ताक्षरित होने पर, ऐसी इकाई संयोजकता अनुदानग्राही बन जाएगी।

10.4 विनियम 10.1 में इंगित तकनीकी संयोजन डाटा और विनियम 10.2 में इंगित संयोजन विवरण, संयोजकता करार का हिस्सा होंगे।

10.5 जहां संयोजकता प्रस्तावित आईएसटीएस सब–स्टेशन पर अनुदान की गई है, वहां नोडल एजेंसी संयोजकता करार के हस्ताक्षरित होने के 2 मास के अंदर अंतिम निर्देशांकों की पुष्टि करेगी और ऐसे निर्देशांक पहले से ही सूचित अनंतिम निर्देशांकों के 5 किमी के रेडियस से बाहर नहीं होंगे।

10.6 विनियम 10.3 के अधीन जैसा कि अपेक्षित है, उस इकाई द्वारा संयोजकता करार को हस्ताक्षर करने में विफलता की दशा में जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान सूचित कर दिया गया है, नोडल एजेंसी 30 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए संयोजकता करार को हस्ताक्षर करने के लिए समय बढ़ा सकती है, जिसके न होने पर नोडल एजेंसी द्वारा आवेदक को सूचित करते हुए संयोजकता का अंतिम अनुदान का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा, संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2 का नकदीकरण किया जाएगा, और संयोजकता–बीजी3 को वापस कर दिया जाएगा।

परंतु यह कि जहां एटीएस या टर्मिनल बे का निर्माण कार्यान्वयन के लिए अवार्ड नहीं किया गया है, संयोजकता–बीजी2 को ऐसे प्रतिसंहरण के एक मास के अंदर वापस कर दिया जाएगा।

10.7 संयोजकता करार में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित और विनियम 39.1 के अनुसार जारी 'संयोजकता और जीएनए के लिए विस्तृत क्रियाविधि' में यथा निर्धारित अन्य विवरण शामिल होंगेः

(क) इन विनियमों के विनियम 10.5 के उपबंधों के अध्यधीन आईएसटीएस सब–स्टेशन पर आबंटित टर्मिनल बे के विवरण;

(ख) संयोजकता के आरंभ की तारीख; और

(ग) उपबंध कि देय तारीख से 3 मास से अधिक के लिए शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन पारेषण प्रभारों के गैर–भुगतान के मामले में, इसकी वसूली इन विनियमों के विनियम 16.3 के उपबंध की अपेक्षा अनुसार संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 के नकदीकरण द्वारा की जाएगी।

10.8 स्टार्ट–अप विद्युत के आहरण या अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण हेतु इकाई, एटीएस में घटकों को पहचान सकती है और संयोजकता करार में सहमति के अनुसार संयोजता के आरंभ की तारीख से पूर्व उन घटकों की सीओडी मांग सकती है। नोडल एजेंसी और इकाई के बीच वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को कवर करते हुए इसके लिए पृथक करार हस्ताक्षरित होगा। ऐसी इकाई, शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अनुसार पारेषण प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगी।

10.9 संयोजकता अनुदानग्राही उस आरएलडीसी को हस्ताक्षरित संयोजकता करार की प्रति प्रस्तुत करेगी जिसके नियंत्रण क्षेत्र में वह स्थित है।

10.10 संयोजकता अनुदानग्राही, संयोजकता के लिए सीईए तकनीकी मानकों के उपबंधों का पालन करेगा।

11. नोडल एजेंसी द्वारा मॉनिटरिंग

11.1 संयोजकता अनुदानग्राही, समर्पित पारेषण लाइनों सहित अपने क्षेत्र के अधीन कार्य के कार्यान्वयन की स्थिति प्रत्येक तिमाही में नोडल एजेंसी को अद्यतन करेगा जो इसे अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करेगी।

11.2 नोडल एजेंसी, सभी संयोजकता अनुदानग्राहियों के संबंध में एटीएस और टर्मिनल बे के कार्यान्वयन की स्थिति प्रत्येक तिमाही में अपनी वेबसाइट पर अद्यतन करेगी।

11.3 नोडल एजेंसी, विनियम 11.1 के अधीन यथा प्रस्तुत संयोजकता अनुदानग्राही के क्षेत्र के अधीन कार्य के कार्यान्वयन की स्थिति और विनियम 11.2 के अधीन यथा अद्यतित एटीएस और टर्मिनल बे के कार्यान्वयन की स्थिति के आधार पर समीक्षा करेगी और सुधारात्मक कार्रवाई करेगी।

11.4 पारेषण प्रणाली के इष्टतम उपयोग के लिए, संबंधित संयोजकता अनुदानग्राही (अनुदानग्राहियों) की सहमति के अनुसार नोडल एजेंसी, समान आईएसटीएस सब–स्टेशन के विभिन्न टर्मिनल बे के बीच संयोजकता की पुनर्व्यवस्था कर सकती है।

11.5 नोडल एजेंसी मौजूदा या प्रस्तावित आईएसटीएस सब–स्टेशनों पर टर्मिनल बे के आबंटन, अन्य बातों के साथ–साथ, बे–वार अनुदत्त संयोजकता की मात्रा और शेष मात्रा जिसके लिए बे–वार संयोजकता अनुदान की जा सकती है, की अद्यतित स्थिति अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी और इसे मासिक आधार पर अद्यतित करेगी।

12. समर्पित पारेषण लाइनें और बे

12.1 यदि संयोजकता अनुदानग्राही कोई उत्पादन स्टेशन या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या स्टैंडअलोन ईएसएस है, तो समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव ऐसे संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा किया जाएगा।

12.2 यदि संयोजकता अनुदानग्राही कोई नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है, तो समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव ऐसे नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा।

12.3 समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण और रखरखाव, निर्माण हेतु सीईए तकनीकी मानकों के अनुसार किया जाएगा।

12.4 आईएसटीएस सब–स्टेशन पर टर्मिनल बे, आईएसटीएस सब–स्टेशन के स्वामित्व वाले पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यक्षेत्र के अधीन होगीः

परंतु यह कि संयोजकता अनुदानग्राही, यदि ऐसा चुनता है, नोडल एजेंसी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन आईएसटीएस सब–स्टेशन के स्वामित्व वाले पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ करार के द्वारा अपनी लागत पर टर्मिनल बे का निर्माण और रखरखाव कर सकता हैः

परंतु यह और कि यदि संयोजकता अनुदानग्राही अपनी लागत पर टर्मिनल बे के निर्माण का चुनाव करता है, तो अपनी संयोजकता के प्रतिसंहरण की दशा में संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा ऐसे टर्मिनल बे के लिए किसी लागत का दावा नहीं किया जा सकताः

परंतु यह भी कि संयोजकता के प्रतिसंहरण के ऐसे मामले में, संयोजकता अनुदानग्राही 3 मास के अंदर टर्मिनल बे को विखंडित करेगा जिसके न होने पर सीटीयू किसी अन्य संयोजकता आवेदक के लिए बे का उपयोग कर सकती है।

12.5 विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर इकाई के मामले में, ऐसी इकाई को आईएसटीएस से जोड़ने के लिए लाइन और आईएसटीएस को संयोजन प्रदान करने के लिए आवश्यक वृद्धि का निर्माण और रखरखाव, ऐसी इकाई की लागत पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

13. अशक्त विद्युत का अंतःक्षेपण और स्टार्ट–अप विद्युत का आहरण

संयोजकता अनुदानग्राही, ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार अशक्त विद्युत का अंतःक्षेपण और स्टार्ट–अप विद्युत का आहरण करने के पात्र होंगे।

14. इंटरफेस मीटर

14.1 केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन कवर किए गए संयोजकता अनुदानग्राही और जीएनए अनुदानग्राही के लिए और उनकी लागत पर इंटरफेस मीटर लगाए जाएंगे।

14.2 विनियम 14.1 के अधीन संस्थापित इंटरफेस मीटर, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, जिसके नियंत्रण क्षेत्र में वह स्थित है, द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

15. संयोजकता का अंतरण

15.1 संयोजकता अनुदानग्राही, इन विनियमों के विनियम 15.2 और विनियम 15.3 के अधीन यथा उपबंधित को छोड़कर किसी व्यक्ति को अपनी संयोजकता और संबद्ध अधिकारों और दायित्वों, पूर्णतया या इसके भागों का, अंतरण, निर्दिष्ट या संकल्प नहीं करेंगे।

परंतु यह कि पेरेंट कंपनी को अनुदत्त संयोजकता इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उपयोग की जा सकती है और सहायक कंपनियों को अनुदत्त संयोजकता, इसकी पेरेंट कंपनी द्वारा उपयोग की जा सकती है।

15.2 जहां संयोजकता अनुदानग्राही आरईजीएस है, वह इन विनियमों के विनियम 4.1 के अनुसार न्यूनतम क्षमता के अध्यधीन, ऐसे हिस्से के सीओडी के बाद, अपनी कनेक्टिविटी को हिस्सों में विभाजित कर सकता है, और प्रत्येक हिस्से की संस्थापित क्षमता को नोडल एजेंसी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में, संयोजकता को प्रत्येक ऐसे हिस्से की संस्थापित क्षमता के अनुपात में विभाजित माना जाएगाः

परंतु यह कि इन विनियमों के अनुसार सभी देनदारियां और दायित्व प्रत्येक हिस्से के लिए संयोजकता अनुदानग्राही के पास बने रहेंगे।

15.3 विनियम 15.2 के संदर्भ में कोई व्यक्ति जो कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या आरईजीएस के स्वामित्व वाली सहबद्ध कंपनी या उसके भाग की शेयरहोल्डिंग का 51% या उससे अधिक का अधिग्रहण करता है, तो वह ऐसे विभाजित हिस्से की सीओडी के बाद, संयोजकता के अंतरण हेतु नोडल एजेंसी को आवेदन कर सकता है। नोडल एजेंसी, ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 के प्रस्तुतिकरण पर संयोजकता का पुनरीक्षित अनुदान जारी करेगी। मूल अनुदानग्राही अपनी संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 को सीटीयू द्वारा सूचित की जाने वाली पुनरीक्षित संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 के साथ प्रतिस्थापित कर सकता है। संयोजकता का पुनरीक्षित अनुदान जारी होने पर, ऐसा व्यक्ति नए संयोजकता करार करेगा और सभी लागू विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा।

परंतु यह कि इन विनियमों के अनुसार सभी देनदारियाँ और दायित्व, अंतरित नहीं की गई संयोजकता के लिए, मूल संयोजकता अनुदानग्राही के पास बनी रहेंगी।

16. संयोजकता बैंक गारंटी से व्यवहार

16.1 संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा पूर्ण क्षमता के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के 30 दिनों के अंदर संयोजकता–बीजी1 वापस कर दी जाएगी।

16.2 उत्पादन क्षमता, जिसे संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया है, के तदनुसार संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 पांच वर्षों में पांच बराबर हिस्सों में वापस कर दी जाएगी।

16.3 देय तारीख से 3 मास से अधिक के लिए शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन पारेषण प्रभारों के गैर–भुगतान के मामले में, ऐसे पारेषण प्रभारों को अपेक्षानुसार संयोजकता–बीजी1 (यदि अस्तित्व में है), संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 के नकदीकरण द्वारा वसूल किया जाएगा। संयोजकता को उस तारीख से प्रतिसंहृत कर दिया जाएगा जब यथा उपलब्ध संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3, शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के अधीन पारेषण प्रभारों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

16.4 विनियम 16.3 के संदर्भ में नकदीकृत की गई संयोजकता–बीजी1, संयोजकता–बीजी2 और संयोजकता–बीजी3 से आय को, शेयरिंग विनियमों के अधीन मासिक पारेषण प्रभारों में समायोजित किया जाएगा।

अध्याय 4

सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए)

17. जीएनए के लिए पात्रता

17.1 निम्नलिखित इकाइयां जीएनए के अनुदान या जीएनए की मात्रा में वृद्धि हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक के रूप में पात्र होंगीः